

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ।

भवन मानचित्र समिति-द्वितीय॥सीपीसी॥ की बैठक सं० 3/2000
दिनांक 6-1-2000 को जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में
सायं 5.00 बजे सम्पन्न हुई का कार्यवाही विवरण :-

बैठक में समिति के निम्न सदस्यों ने भाग लिया -

- 1- श्री कै.पी. सिंघल, सचिव, जविप्रा, जयपुर ।
- 2- श्री ए.के. गुप्ता, निदेशक॥आयोजना॥ जविप्रा, जयपुर ।
- 3- श्री एस.एल. माथुर, निदेशक॥अभियांत्रिकी॥ जविप्रा, जयपुर ।
- 4- श्री जी.पी. पाण्डे, निदेशक॥विधि॥ जविप्रा, जयपुर ।
- 5- श्री पी.आर. शर्मा, निदेशक॥वित्त॥ जविप्रा, जयपुर ।
- 6- श्री ए.एन. भार्गव, वरिष्ठ नगर नियोजक॥सीपी॥ जविप्रा, जयपुर ।

बैठक में निम्न अधिकारी भी उपस्थित थे :-

- 1- श्री ओ.पी. सहारण, अति०आयुक्त॥भूमि एवं योजनाएं॥ जविप्रा, जयपुर
- 2- श्री पी.अरविन्द, वरिष्ठ नगर नियोजक॥एम.पी.॥ जविप्रा, जयपुर ।
- 3- श्री सुरेश गुप्ता, उपायुक्त, जोन बी-1, जविप्रा, जयपुर ।
- 4- श्री अनिल गुप्ता, उपायुक्त, जोन बी-2, जविप्रा, जयपुर ।
- 5- श्री ओ.पी. छड़गाक्त, उपायुक्त, जोन बी-3, जविप्रा, जयपुर ।
- 6- श्री बी.एस. परमार, उपायुक्त, जोन ए-2, जविप्रा, जयपुर ।
- 7- श्री डी.एन. पाण्डे, उपायुक्त, जोन सी-1, जविप्रा, जयपुर ।
- 8- श्री प्रेमशंकर, सहायक नगर नियोजक॥सीपी॥ जविप्रा, जयपुर ।
- 9- श्री श्रीनाथ माहेश्वरी, सहायक नगर नियोजक॥सीपी॥ जविप्रा, जयपुर ।
- 10- श्री हरिप्रसाद शर्मा, सहायक नगर नियोजक, जोन बी-3, जविप्रा, जयपुर

॥1॥ बीपीसी-1।॥सीपीसी॥ की बैठक सं० 2/2000 दिनांक 4-1-2000
का कार्यवाही विवरण समिति के पृष्ठकरण हेतु :

समिति द्वारा पृष्ठ की गयी ।

॥2॥ विभिन्न उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत प्रकरणों पर विचार-विमर्श कर
निम्न निर्णय लिये गये :-

2.1- एजेण्डा सं० 3/2000-1 :- छत्रपति शिवाजी गढ़ निर्माण सह

उपायुक्त, बी-2 द्वारा बताये गये दस्तावेज की स्थिति और मौके की स्थिति को देखते हुए निर्णय लिया गया कि राठौड़ नगर के अनुमोदित योजना में भूखण्ड सं० 44 को रिनम्बर कर के 45 नम्बर अंकित किया जाये। भूखण्ड सं० 45 को रिनम्बर कर के 45 ए अंकित किया जाये। इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप इस योजना में 44 नम्बर का कोई भूखण्ड नहीं रहेगा।

2.2- एजेण्डा सं० 3/2000-2 :- न्यूपिंकसिटी गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना श्रीजी नगर के भूखण्ड सं० 16 से 27 की चौड़ाई मौके की स्थिति के अनुसार रखी जाने के संबंध में :

उपायुक्त, बी-1 द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा आइटम पर विचार कर भूखण्ड सं० 16 से 27 की चौड़ाई एजेण्डा में अंकित मौके की स्थिति के अनुसार रखी जाने का निर्णय लिया गया। भूखण्ड सं० 16 से लगती हुई सड़क की चौड़ाई मौके पर 30 फिट हो तो इस भूखण्ड की चौड़ाई 57'-6" रखी जाये अन्यथा 56 फिट रखी जाये।

बैठक अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ सम्पन्न हुई।



सदस्य सचिव,

भवन मानचित्र समिति-द्वितीय {सीपीसी} जविप्रा, जयपुर।

क्रमांक: एफ-11 {14} जविप्रा/वननि/सीपी/3/2000/डी-13

दिनांक : 4-1-2000

प्रतिलिपि:-

- 1- निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
- 2- निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
- 3- निदेशक {आयोजना} / {विधि} / {वित्त} / {अभियंत्रिकी} जविप्रा, जयपुर।
- 4- अति० आयुक्त {भूमि एवं योजनाएं} जविप्रा, जयपुर।
- 5- वरिष्ठ नगर नियोजक {एम.पी.} जविप्रा, जयपुर।
- 6- उपायुक्त, जोन ए-1, ए-2, बी-1, बी-2, बी-3, सी-1, सी-2 एवं डी, जविप्रा, जयपुर।
- 7- जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।